

23-02-2022

वकील वादी मय वादी अनुपास्थित।
प्रतिवारीगण मय वकील अनुपास्थित। वादी
एवं वकील वादी को बार-बार आवाज दी
गई, वावजूद इसके वादी मय वकील अनु-
पास्थित। अतः वाद-वादी अन्तर्गत धारा 88, 53
188, 92 A राजस्थान कानूनकारी अधिनियम
विरुद्ध प्रतिवारीगण अदम हाजरी, अदम पैरवी
में सारीज किया जाता है। फावली फैसल
शुमार होकर नम्बर से कम हो, बार तकमील
जाता दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) राजी